

पूर्वोत्तर रेलवे

लखनऊ मंडल

स्टेशन संचालन नियमावली संख्या-एल0जे0एन0/292

स्टेशन संचालन नियम जारी होने की तिथि
स्टेशन संचालन नियम लागू होने की तिथि

नेपालगंज रोड स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम
(एम0जी0)

- टिप्पणी: (i) दिनांक 18.06.16 से लागू स्टेशन संचालन नियम सं0/292 को निरस्त कर निम्नलिखित संशोधित स्टेशन संचालन नियम द्वारा प्रस्थापित किया जाता है।
- (ii) इस स्टेशन संचालन नियम की एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के कार्यालय में संदर्भ के लिए सदैव उपलब्ध रहेगी तथा इनका अध्ययन पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ किया जायेगा यह स्टेशन संचालन नियम किसी भी रूप में साधारण एवं सहायक नियमों का किसी भी स्थिति में अतिक्रमण नहीं करते हैं।

1. स्टेशन संचालन नियमारेख :

मुसिदूड़/गोरखपुर/पू.उ.रेलवे के सिगनल अन्तर्पाशन योजना सं0 प्रमंसिदूड़/86(वाईडी)/21 संशोधन 'एफ' पर आधारित नियमारेख संख्या: वमंसिदूड़/ल0जं0/2016 (आर0डी0)/23 दिनांक 02.03.16 संलग्न है, जिसमें इस स्टेशन के कांटों, सिगनलों और लाइनों की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है, दुर्घटना आदि का रिपोर्ट करते समय व संदर्भ के सभी मामलों में इसका उल्लेख करे तथा इसमें दिये कांटों, सिगनलों व लाइनों के नम्बर अवश्य अंकित करें।

2. स्टेशन का विवरण :

2.1 सामान्य स्थिति :

नेपालगंज रोड स्टेशन पू0उ0रेलवे के नेपालगंज रोड - नानपारा जं0 अविद्युतीकृत इकहरी लाइन प्रखण्ड पर "स्पेशल" श्रेणी का नान इण्टरलाक की-लाक टर्मिनल स्टेशन है। यह गोण्डा जं0 स्टेशन से 114.66 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। इस स्टेशन पर नेपालगंज रोड - नानपारा जं0 स्टेशनों के मध्य लागू "केवल एक गाड़ी पद्धति" पर कार्य किया जाता है जिसका आधार स्टेशन नानपारा जं0 स्टेशन है।

2.2 ब्लाक स्टेशन,किसी भी ओर आई.बी.एच., आई.बी.एस. तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :

2.2.1 ब्लाक स्टेशन :-

नेपालगंज रोड स्टेशन नानपारा जं0 स्टेशन के पश्चिम में 19.71 कि0मी0 की दूरी पर स्थित टर्मिनल स्टेशन है।

2.2.2 नान-ब्लाक स्टेशन :-

(क) अप दिशा में :

- टर्मिनल -

(ख) डाउन दिशा में :

बाबागंज (हाल्ट) स्टेशन इस स्टेशन से 06.84 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है।

2.3 विभिन्न दिशाओं में स्टेशन के किसी भी ओर ब्लाक खंड सीमा :

इस स्टेशन पर लागू नहीं है।

कमश: पृष्ठ 2 पर

2.4 ढलान, यदि कोई हो :

स्टेशन भवन की मध्य रेखा से नानपारा जं० छोर पर समतल एवं 1000 में 1 की ढाल है।

2.5 ले आउट :

इस स्टेशन का ले आउट चार लाइनों का है। लाइनों की सं० 1, 2, 3 व 4 हैं जिसमें लाइन सं० 1 रनिंग लाइन तथा लाइन सं० 2, 3 व 4 नान-रनिंग लाइने है।

2.5.1 चालू लाइने, संचलन की दिशा और सी.एस.आर. में वाहन क्षमता :

लाइन संख्या	क्लियर स्टैंडिंग रूम (मीटर में)(सी.एस.आर.)	वाहन क्षमता (कोच)	अभ्युक्तियाँ	विद्युतीकृत या अविद्युतीकृत
1	562.00 मीटर	27	निम्न तल यात्री प्लेटफार्म सुविधा युक्त है।	अविद्युतीकृत

(क) नेपालगंज रोड टर्मिनल स्टेशन है।

(ख) गाड़ियों का आवागमन रनिंग लाइन सं० 1 से किया जायेगा।

2.5.2 गैर चालू लाइने और सी०एस०आर० में उनकी क्षमता :-

लाइन संख्या	क्लियर स्टैंडिंग रूम (मीटर में)(सी.एस.आर.)	वाहन क्षमता (कोच)	अभ्युक्तियाँ	विद्युतीकृत या अविद्युतीकृत
2	436.85 मीटर	21	स्टैब्लिंग लाइन है।	अविद्युतीकृत
3	115.00 + 98.64 + 21.00 मीटर	-	गुड्स प्लेटफार्म लाइन है।	
4	48.00 मीटर	-	गुड्स शेड साइडिंग	

2.5.3 ले आउट की कोई मुख्य विशेषता :-

नेपालगंज रोड - नानपारा जं० स्टेशन के मध्य साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के अध्याय 13 के अनुसार "केवल एक गाड़ी पद्धति" पर काम किया जाता है जिसका आधार स्टेशन नानपारा जं० है।

2.6 समपार :

2.6.1 स्टेशन सीमा के भीतर स्थित समपार फाटकों की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण निम्न है :

फाटक सं०	श्रेणी	स्थिति	सामान्य स्थिति	परिचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारी	अन्त-र्पाशित है या नहीं	संचार साधन	क्या गाड़ी चालित चेटावनी प्रणाली उपलब्ध है (टी.ए.डब्लू.डी)
-कोई नहीं-							

2.6.2 स्टेशन सीमा के बाहर स्थित इस स्टेशन से टेलीफोन द्वारा जुड़े समपार फाटकों की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण निम्न है :

फाटक सं०	श्रेणी	स्थिति	सामान्य स्थिति	परिचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारी	अन्त-र्पाशित है या नहीं	संचार साधन	क्या गाड़ी चालित चेटावनी प्रणाली उपलब्ध है (टी.ए.डब्लू.डी)
9 इन्जी०	"सी"	नेपालगंज रोड व नानपारा जं० स्टेशनो के मध्य कि.मी. 13/0-1 पर स्थित है।	सड़क यातायात के लिए खुला।	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर कार्यालय से टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।	नहीं

क्रमशः पृष्ठ 3 पर

10 इन्जी०	"सी"	नेपालगंज रोड तथा नानपारा जं० स्टेशनो के मध्य कि०मी० 14/6-7 पर स्थित है।	सड़क यातायात के लिए खुला।	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर कार्यालय से टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।	नहीं
--------------	------	---	---------------------------	------------------	------	--	------

टिप्पणी: समपार फाटक के संचालन की पद्धति हेतु परिशिष्ट "ए" भाग-1 व 2 देखें।

3. संचालन की प्रणाली और साधन :

महाप्रबन्धक/परिचालन/गोरखपुर के पत्र सं० टी/555/197 दिनांक 09.04.90 के अनुसार नानपारा – नेपालगंजरोड स्टेशनो के मध्य "केवल एक गाड़ी पद्धति" लागू है। यह स्टेशन एक टेलीफोन द्वारा नानपारा जंक्शन स्टेशन से जुड़ा है।

पीतल की पत्ती लगा "लकड़ी का डण्डा" जिस पर सम्बन्धित स्टेशनों नेपालगंजरोड तथा नानपारा जं० स्टेशनों का नाम प्रदर्शित है, आधार स्टेशन नानपारा जं० स्टेशन पर रखा गया है। यह "लकड़ी का डण्डा" ही गाड़ी के नानपारा जं० – नेपालगंजरोड ब्लाक खण्ड में प्रवेश का एकमात्र प्राधिकार है। यह "लकड़ी का डण्डा" जब प्रयोग में नहीं हो तो इसको रखने के उद्देश्य के लिये बने बक्से में, जिसके ऊपर शीशा लगा है, रखकर तालाबन्द रखा जायेगा तथा चाभी कार्यरत स्टेशन मास्टर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखेगा।

टिप्पणी : (i) "लकड़ी का डण्डा" के प्रयोग हेतु साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका का अध्याय 13 देखें।

4. सिगनलिंग और अन्तर्पाशन प्रणाली :

4.1 यह स्टेशन "स्पेशल" श्रेणी का नान-इण्टरलाकड की-लाकड टर्मिनल स्टेशन है। यहाँ साधारण नियम 3.25 (क) के अन्तर्गत इस स्टेशन पर कोई सिगनल नहीं दिया गया है। सम्मुख कॉटा सं० 2 से पहले 400 मीटर दूर आने वाली गाड़ियों के लिये एक 'डेड स्टाप बोर्ड' लगाया गया है।

(i) सिगनल/प्वाइंट को लीवर फ्रेम/कंट्रोल पैनल/वी.डी.यू./सी.टी.सी. से संचालन विधि :

स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" को देखें।

(ii) एक्सल काउन्टर/ट्रैक सर्किट का रनिंग लाइनों में प्रावधान:

इस स्टेशन पर प्रावधान नहीं है।

(iii) कालिंग आन सिगनल/आई.बी.एस. :

इस स्टेशन पर प्रावधान नहीं है।

(iv) फिक्सड वार्नर एवं स्टेशनों पर स्टाप बोर्ड :-

इस स्टेशन पर फिक्सड वार्नर प्रावधान नहीं है एवं टर्मिनल छोर पर लाइन संख्या 1 व 2 में एक-एक स्टाप बोर्ड लगाया गया है।

(v) आपात क्रास ओवर :

इस स्टेशन पर प्रावधान नहीं है।

(vi) स्थाई रूप से लाक किये गये कांटे :

कॉटा सं०	विवरण	इण्टीकेटर लगा है या नहीं	सेटिंग की सामान्य स्थिति	चाभी द्वारा नियन्त्रित	मोटर अथवा यान्त्रिक संचालित	ट्रैक – सर्किटेड या नहीं	आइसोलेशन के साधन	
							साधन	लाइन सं० के मध्य
2	इकहरे एच.पी.के. तालायुक्त कांटे	नहीं	लाइन सं० 1 के लिये व लाइन सं० 2 के क्रासओवर के विरुद्ध सेट व लाकड।	एस-2	यान्त्रिकी	नहीं	कांटे सेट करके	1 व 2

क्रमशः पृष्ठ 4 पर

2एक्स	दोहरे एच.पी.के. तालायुक्त डिरेलिंग स्विच	हाँ	लाइन सं0 2 में डिरेल करने के लिये सेट व लाकड	एफ	यान्त्रिकी	नहीं	डिरेलिंग स्विच	2 व 1
3	इकहरे एच.पी.के. तालायुक्त काँटे	नहीं	लाइन सं0 1 के लिये व लाइन सं0 4 के क्रासओवर के विरुद्ध सेट व लाकड।	एस	यान्त्रिकी	नहीं	काँटे सेट करके	1 व 4
3एक्स	दोहरे एच.पी.के. तालायुक्त डिरेलिंग स्विच	हाँ	लाइन सं0 4 में डिरेल करने के लिये सेट व लाकड	एफ	यान्त्रिकी	नहीं	डिरेलिंग स्विच	4 व 1
4	इकहरे एच.पी.के. तालायुक्त काँटे	नहीं	लाइन सं0 1 के लिये व लाइन सं0 3 के क्रासओवर के विरुद्ध सेट व लाकड।	एस-1	यान्त्रिकी	नहीं	काँटे सेट करके	1 व 3
4ए	दोहरे एच.पी.के. तालायुक्त काँटे	नहीं	लाइन सं0 3 के लिये व लाइन सं0 1 के क्रासओवर के विरुद्ध सेट व लाकड।	एफ	यान्त्रिकी	नहीं	काँटे सेट करके	3 व 1
5	इकहरे एच.पी.के. तालायुक्त काँटे	नहीं	लाइन सं0 1 के लिये व लाइन सं0 2 के क्रासओवर के विरुद्ध सेट व लाकड।	एस-3	यान्त्रिकी	नहीं	काँटे सेट करके	1 व 2
5एक्स	दोहरे एच.पी.के. तालायुक्त डिरेलिंग स्विच	हाँ	लाइन सं0 2 में डिरेल करने के लिये सेट व लाकड	एफ	यान्त्रिकी	नहीं	डिरेलिंग स्विच	2 व 1

टिप्पणी: चाभियों की लाकिंग फेल हो जाने पर कांट संख्या 2, 3, 4, 4ए, व 5 को नार्मल स्थिति में क्लैम्प व पैडलाक करके उनको स्थाई रूप से तालाबन्द कांटें मानकर पैडलाक की चाभियां कार्यरत स्टेशन मास्टर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखेगा।

(vii) यांत्रिक रूप से संचालित स्टेशनों पर मोटर द्वारा परिचालित कांटे :
इस स्टेशन पर प्रावधान नहीं है।

कमशः पृष्ठ 5 पर

- (viii) आपात/कैंक हैण्डल चाभियों और उनकी अभिरक्षा :
इस स्टेशन पर प्रावधान नहीं है ।
- (ix) कांटे/ट्रेप कांटे/सिगनल/एक्सल काउन्टर/ट्रैक सर्किट के संकेत (इलेक्ट्रिक/बैनर किस्म के) :
(क) कांटे :-
यार्ड के समस्त कांटे उनके पास स्थित लीवर द्वारा संचालित होते हैं। स्टेशन मास्टर को कांटो की दशा सुनिश्चित करने के लिये कांटो पर इण्डिकेटर की व्यवस्था है। कांटो के नार्मल दशा में सफेद तथा रिवर्स दशा में हरा इण्डिकेशन प्रकाशित होता है।
(कांटो के संचालन की कार्यविधि हेतु स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" देखें।)
- (ख) ट्रेप कांटे :-
इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।
- (ग) सिगनल :-
यहाँ साधारण नियम 3.25(क) के अन्तर्गत इस स्टेशन पर कोई सिगनल नहीं दिया गया है।
- (घ) एक्सल काउन्टर :-
इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।
- (ङ.) ट्रैक सर्किट इंडीकेशन:
इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।
- (x) कांटे/सिगनल/गेट कंट्रोल स्विचों का उपयोग करते हुए रुट सेटिंग के लिये लीवर फ्रेम/नियंत्रण पैनल वीडियो डिस्प्ले यूनिट :
इस स्टेशन पर प्रावधान नहीं है ।
- (xi) कांटों का पृथक परिचालन :
स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट "बी" में दिया गया है।
- (xii) स्टेशन सीमा के भीतर गेटों का परिचालन :
इस स्टेशन पर प्रावधान नहीं है ।
- (xiii) कैंक हैण्डल का उपयोग करते हुए कांटों की सेटिंग :
इस स्टेशन पर प्रावधान नहीं है ।
- (xiv) आपातकालीन संचालन के लिये उपलब्ध वीडर काउन्टर :
इस स्टेशन पर प्रावधान नहीं है ।
- (xv) गाड़ी बचाव और चेतावनी प्रणाली (टी.पी.डब्लू.एस.) तथा टक्कर रोधी उपकरण (ए.सी.डी) की कार्य विधि :-
इस स्टेशन पर प्रावधान नहीं है ।
- (xvi) बर्थिंग पोर्शन और आई.बी.एस. सेक्शन पर एक्सल काउन्टर की खराबी के मामले में रीसेटिंग की पद्धति :-
इस स्टेशन पर प्रावधान नहीं है ।
- (xvii) कांटो का आपात संचालन :
इस स्टेशन पर प्रावधान नहीं है ।
- (xviii) आपात मार्ग रद्दीकरण :
इस स्टेशन पर प्रावधान नहीं है ।

क्रमशः पृष्ठ 6 पर

(xix) ब्लाक की क्लियरिंग :

कार्यरत स्टेशन मास्टर सम्बन्धित गाडी के गार्ड से पूर्ण आगमन प्राप्त करेगें। (सा0 एवं सहायक नियम 4.17 देखें)

4.1.1 अप आगमन सिगनल :

इस स्टेशन पर प्रावधान नहीं है ।

4.1.2 अप प्रस्थान सिगनल :

यह स्टेशन टर्मिनल स्टेशन है।

4.1.3 डाउन आगमन सिगनल :

यह स्टेशन टर्मिनल स्टेशन है।

4.1.4 डाउन प्रस्थान सिगनल : -

इस स्टेशन पर प्रावधान नहीं है ।

4.1.5 अतिरिक्त सिगनल : कोई नहींनोट

(i) सभी सिगनल विफलतायें सिगनल विफलता पंजिका (एस ई-32) में अंकित की जायेगी।

(ii) कांटों, मैग्नेटो टेलीफोन इत्यादि की विफलता और उससे सम्बन्धित रख-रखाव / मरम्मत हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों की एक सूची (उनके मुख्यालय सहित) स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" में दी गयी है।

4.2 रिले कक्ष की चाभियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हे लेने देने की कार्य पद्धति :

इस स्टेशन पर प्रावधान नहीं है ।

4.3 पावर सप्लाई:-

इस स्टेशन पर प्रावधान है ।

5. दूर संचार :

इस स्टेशन पर उपलब्ध दूर संचार के साधन की सूची के लिए स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट "बी" देखें।

(i) सेक्शन कन्ट्रोल/डिप्टी कन्ट्रोल/कर्षण पावर कन्ट्रोल आदि :-

इस स्टेशन पर प्रावधान नहीं है ।

(ii) आटो/डी0ओ0टी0 टेलीफोन :-

इस स्टेशन पर प्रावधान नहीं है ।

(iii) केबिन/गोटो पर टेलीफोन :-

समपार सं0 9, 10 व नानपारा जं0 स्टेशन के टेलीफोन इस स्टेशन से टेलीफोन द्वारा जुड़े हैं ।

(iv) आई0बी0एस0 का आई0बी0एस0 टेलीफोन :-

इस स्टेशन पर प्रावधान नहीं है ।

(v) एक्सल काउण्टर रीसेट बाक्स का टेलीफोन :-

इस स्टेशन पर प्रावधान नहीं है ।

(vi) यार्ड में संचार हेतु टेलीफोन :-

इस स्टेशन पर प्रावधान नहीं है ।

(vii) वी0एच0एफ0 सेट :-

उपलब्ध है ।

नोट :-उक्त संचार व्यवस्था में खराबी आ जाने पर स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट "बी" के अनुसार सूचित करें।

कमशः पृष्ठ 7 पर

6. गाड़ी संचालन :

गाड़ियों का आवागमन साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका का अध्याय 13 के अनुसार होगा।

6.1 गाड़ी संचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :

गाड़ी संचालन कर्मचारी जैसे स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर, कांटावाला कें गाड़ी संचालन कें कर्तव्यों का विवरण स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "डी" में दिया गया है। सभी कर्मचारीगण मंडल द्वारा निर्धारित रोस्टर में अपने-अपने शिफ्ट के अनुसार कार्य करेंगे।

6.1.1 प्रत्येक पाली में कार्यरत गाड़ी संचालन कर्मचारी :

- (अ) स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर
(ब) कांटावाला

6.1.2 लाइनों की क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व तथा उत्तर दायित्व के क्षेत्र :

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ियों के संचालन के समय रनिंग लाइन सं० – 1 का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। प्राइवेट नं० बुक कार्यरत स्टेशन मास्टर के निजी अभिरक्षा में होनी चाहिए जोकि इसके उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है।

(विस्तृत विवरण के लिए सामान्य नियम 3.38, 3.40(3) एवं 8.03(2))

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारी का आश्वासन :

प्रत्येक गाड़ी पासिंग कर्मचारी जिसकी स्टेशन पर नयी तैनाती हुई है या स्टेशन पर 15 दिन या 15 दिनों से अधिक की नियमित अनुपस्थिति के उपरान्त ड्यूटी पर उपस्थित होने वाले कर्मचारियों को प्रचलित स्टेशन संचालन नियमों को अवश्य पढ़ कर निर्धारित आश्वासन पंजिका में अपना आश्वासन दर्ज करना चाहिए। जब कभी कोई शुद्धि पर्ची स्टेशन संचालन नियम में जारी की जाती है तो स्टेशन मास्टर द्वारा सभी कर्मचारियों का पुनः आश्वासन अवश्य लिया जाए।

(सामान्य नियम 5.01(19) देखें।)

6.2 लाइन क्लीयर देने के लिए शर्त :

यहाँ लागू नहीं होता।

टिप्पणी : नानपारा जं० स्टेशन से आने वाली गाड़ी हेतु स्वीकृति देने से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार सं० 9 व 10 का बन्द व लॉक होना सुनिश्चित करेंगे।

6.2.1 गाड़ी के स्टेशन पर आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्त :

6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध प्वाइंटों को अन्य लाइन के लिये सेट करना: सहायक नियम 5.19 (2) देखें।

6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन : सामान्य एवं सहायक नियम 5.09 देखें।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन : साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका का अध्याय 13 देखें।

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करना : साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका का अध्याय 13 देखें।

6.2.1.5 कामन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करना : इस स्टेशन पर प्रावधान नहीं है।

कमशः पृष्ठ 8 पर

6.2.1.6 कोई अन्य विशेष शर्त :

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ियों के आगमन के समय लाइन सं०-1 का साफ व अवरोध रहित रखना तथा क्रासओवर कॉटा सं० 2-2एक्स, 3-3एक्स, 4-4ए व 5-5एक्स को नार्मल स्थिति में सेट व लाकड रखना व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करेगा।

कार्यरत स्टेशन मास्टर नानपारा जं० स्टेशन से आने वाली गाड़ी के चालक से "लकड़ी का डण्डा" वापस लेना सुनिश्चित करेगा और कार्यभार सौंपते समय स्टेशन डायरी में एक विशेष प्रविष्टि करेगा कि "लकड़ी का डण्डा" किसी गाड़ी के चालक के पास है या अपने निर्धारित स्थान में रखा है।

कार्यरत स्टेशन मास्टर नानपारा जं० स्टेशन को गाड़ी भेजने से पहले उसका नम्बर व विवरण, मैग्नेटो टेलीफोन द्वारा नानपारा जं० में कार्यरत स्टेशन मास्टर को बतायेगा तथा गाड़ी चलाने के लिये निर्धारित "लकड़ी का डण्डा" स्वयं गाड़ी के गार्ड को सौंपेगा ताकि वह चालक को व्यक्तिगत रूप से जाकर दे।

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ियों के आवागमन के समय साइडिंग कन्ट्रोल चाभी "एफ" अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में होना सुनिश्चित करेगा।

कार्यरत कांटावाला गाड़ी के आगमन के पश्चात इंजन काटकर व घुमाकर ट्रेन पर बैठाने का कार्य करेगा।

6.3 आगमन सिगनलों को आफ करने की शर्त:

यहाँ लागू नहीं होता।

6.3.1 चालू लाइन पर गाड़ियों का आगमन :-

"गाड़ियों का आगमन" के लिये जिस आने वाली गाड़ी हेतु स्वीकृति दिया जा चुका है उस गाड़ी के आगमन के लिये स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :

(क) नानपारा जं० में कार्यरत स्टेशन मास्टर से फोन द्वारा सूचना मिलने पर या फोन खराबी के समय गाड़ी के संभावित आगमन के 25 मिनट पहले कार्यरत स्टेशन मास्टर लाइन सं०-1 का साफ व अवरोध रहित होने तथा क्रासओवर कॉटा सं० 2-2एक्स, 3-3एक्स, 4-4ए व 5-5एक्स को नार्मल स्थिति में सेट व लाकड होने के लिये साइडिंग कन्ट्रोल चाभी "एफ" का अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में होना सुनिश्चित करके कार्यरत कांटावाला को निर्देश देगा कि व्यक्तिगत रूप से लाइन सं०-1 का साफ व अवरोध रहित होने तथा क्रासओवर कॉटा सं० 2-2एक्स, 3-3एक्स, 4-4ए व 5-5एक्स को नार्मल स्थिति में सेट व लाकड होना सुनिश्चित करके गाड़ी को लाइन सं० 1 पर पायलट करें।

(ख) कार्यरत कांटावाला पहले टर्मिनल छोर पर जाकर क्रासओवर कॉटा सं० 5-5एक्स को नार्मल स्थिति में सेट व लाकड होना सुनिश्चित करके सम्मुख छोर की ओर जाते हुये लाइन सं०-1 का साफ होना देखते हुये क्रासओवर कॉटों सं० 2-2एक्स, 3-3एक्स व 4-4ए का नार्मल स्थिति में सेट व लाकड होना सुनिश्चित करके डेड स्टाप बोर्ड तक जाकर गाड़ी को लाइन सं० 1 पर पायलट करेगा।

6.3.2 सिगनल को पुनः "आन" करने के लिए स्टेशन मास्टर का दायित्व :

यहाँ लागू नहीं होता।

कमशः पृष्ठ 9 पर

- 6.4 एक साथ दो गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान, गाड़ियों की कासिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना :
यह स्टेशन टर्मिनल स्टेशन है।
- 6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन
स्टेशन पर आने वाली गाड़ी का सम्पूर्ण आगमन सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत स्टेशन मास्टर निर्धारित प्रोफार्मा टी-1410 पर किसी कर्मचारी द्वारा गार्ड से सम्पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र मंगवायेगा।
(देखें सा0 एवं स0 नियम 4.17)
- 6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :
“गाड़ियों का प्रस्थान” के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट (बी) अवश्य पढ़ा जाए। जिस जाने वाली गाड़ी हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है उस गाड़ी के प्रस्थान के लिये कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-
- (क) जब गाड़ी नानपारा जं0 जाने के लिये तैयार हो जाये तब कार्यरत स्टेशन मास्टर साइडिंग कन्ट्रोल चाभी “एफ” का अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख कर साइडिंग कॉटों का नार्मल स्थिति में सेट व लाकड होना सुनिश्चित करके कार्यरत कांटावाला को निर्देश देगा कि वह ट्रेलिंग काटों पर जाकर कासओवर कॉटों सं0 2-2एक्स, 3-3एक्स व 4-4ए का नार्मल स्थिति में सेट व लाकड होना सुनिश्चित करके हरा हैन्ड सिगनल दिखाये।
- (ख) कार्यरत कांटेवाला ट्रेलिंग काटों पर जाकर कासओवर कॉटों सं0 2-2एक्स, 3-3एक्स व 4-4ए का नार्मल स्थिति में सेट व लाकड होना सुनिश्चित करके गाड़ी के ड्राइवर को निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्थान आदेश देगा। गाड़ियों के प्रस्थान हेतु दो-दो स्पष्ट घण्टियां बजवाकर गाड़ी चलाने की अनुमति गार्ड को देगा।
(ब्लाक लाइन के समय सा0 एवं स0नि0 5.19 देखें)

प्रस्थान आदेश

डाउन गाड़ी सं0.....के लोको पायलट,

आपको गाड़ी के गार्ड द्वारा दिया गया सिगनल देखकर नानपारा जं0 के लिये प्रस्थान करने को अधिकृत किया जाता है।

स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर
दिनांक

- 6.6.1 गैर चालू लाइनों/बिना सिगनल वाली लाइनों से गाड़ियों का प्रस्थान:
इस स्टेशन पर अनुमति नहीं है।
- 6.6.2 काशन आर्डर (सतर्कता आदेश) का जारी किया जाना :
वापसी यात्रा के लिये भी नानपारा जं0 में कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के लोको पायलट व गार्ड को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
(सा0 एवं सहा0 नियम 4.09 देखें)
- 6.7 गाड़ियों का स्टेशन पर बिना रुके जाना :
यह स्टेशन टर्मिनल स्टेशन है।

कमशः पृष्ठ 10 पर

6.8 विफलता के दौरान कार्य पद्धति :**6.8.1 ट्रेक सर्किट की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :**

इस स्टेशन पर ट्रेक सर्किट नहीं है।

6.8.2 कांटो की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :

कांटों की विफलता की स्थिति में कांटो के संचालन की विस्तृत पद्धति परिशिष्ट "बी" में दिया गया है।

6.8.3 सिगनल की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :

साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका का अध्याय 13 देखें।

6.8.4 ब्लाक यंत्रों की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :

इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

6.8.5 एक्सल काउन्टर/एक्सल काउन्टर ब्लाक की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :

इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

6.8.6 क्षतिग्रस्त कांटों पर कार्य करने की पद्धति :

सामान्य नियम 3.77(1)(2) एवं सहायक नियम 3.77(i) देखें।

6.8.7 अवरुद्ध लाइनों पर गाड़ियों के आगमन की पद्धति :

सामान्य नियम 5.09(1),(2)व (3)एवं सहायक नियम 5.09(i) देखें।

6.8.8 बिना सिगनल वाली लाइनों पर गाड़ियों के आगमन की पद्धति :

साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका का अध्याय 13 देखें।

6.9 टालियों/मोटर टालियों/सामग्री लारियों की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में उपलब्ध : सामान्य नियम 15.18 से 15.28 देखें।**7. लाइन अवरुद्ध होना :**

सामान्यतया परिचालित लाइनो को अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं है। परन्तु जब किसी परिचालित लाइन को अवरुद्ध करना ही पड़े तो कार्यरत स्टेशन मास्टर साधारण एवं सहायक नियम 5.19 का पालन करें तथा कार्यरत गाड़ी नियंत्रक से **प्राइवेट नं0** का आदान प्रदान अवश्य करें।

8. शंटिंग :

वे कॉटे जो किसी चाभी से लाक नहीं होते या शन्ट सिगनल या अन्य किसी सिगनल से नियन्त्रित नहीं होते हैं तो शंटिंग में सम्मुख कॉटो को क्लैम्प एवं पैड लाक अवश्य किया जाये।

8.1 सामान्य सावधानियाँ :

डेड स्टाप बोर्ड तक शंटिंग की अनुमति है।

8.2 आती हुई गाड़ी के सम्मुख शंटिंग :

यहाँ लागू नहीं होता।

8.3 (i) शंटिंग पर प्रतिबन्ध :

डेड स्टाप बोर्ड के आगे शंटिंग की अनुमति नहीं है।

(ii) कोई अन्य प्रमुख विशेषतायें :

—कुछ नहीं—

8.4 इकहरी लाइन पर शंटिंग :

साधारण एवं सहायक नियम 8.09,8.10,8.12,8.13 व 8.15 को देखें।

8.4.1 ब्लाक खण्ड साफ होने पर शन्टिंग (आगमन अनुमति देने से पूर्व):-

यहाँ लागू नहीं होता।

क्रमशः पृष्ठ 11 पर

8.4.2 आती हुयी गाड़ी की दिशा में शन्टिंग (आगमन अनुमति देने के बाद):-

यहाँ लागू नहीं होता।

8.4.3 जाती हुयी गाड़ी के पीछे शन्टिंग:-

यहाँ लागू नहीं होता।

8.4.4 शंटिंग पर प्रतिबन्ध :-

डेड स्टाप बोर्ड के आगे शंटिंग की अनुमति नहीं है।

टिप्पणी:-शंटिंग के दौरान रास्ते में पड़ने वाले समपार फाटक सड़क यातायात के विरुद्ध बंद एवं लाक कर दिये जायेंगे।

8.4.5 इकहरी लाइन पर ब्लाक उपकरण खराब होने के दौरान शन्टिंग :-

यहाँ लागू नहीं होता।

8.4.6 दोहरी लाइन पर शंटिंग :

यहाँ पर दोहरी लाइन नहीं है।

8.5 स्टेशन यार्ड/माल यार्ड से निकलने वाली साइडिंग में शंटिंग :

जब भी साइडिंग में शन्टिंग करनी हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर, गाड़ी के गार्ड तथा कांटावाला को शन्टिंग के सम्बन्ध में विस्तृत अनुदेश देगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर उस साइडिंग की कन्ट्रोल चाभी कांटावाला को देगा। कांटावाला परिशिष्ट 'बी' में वर्णित विधि अपनाकर आवश्यक शन्टिंग करेगा तथा शन्टिंग समाप्त करके साइडिंग की कन्ट्रोल चाभी स्टेशन मास्टर को वापस कर देगा। इकहरे तालायुक्त एच.पी.के. लाकड काँटे शन्टिंग के दौरान जब भी रिवर्स स्थिति में सम्मुख हों तो उन्हें अवश्य क्लैम्प व पैडलाक किया जायेगा।

9. असामान्य परिस्थितियों :

(क) असामान्य परिस्थितियों में अनुपालन हेतु नियम :

(i) आंशिक अवरोध/बिजली संचार उपकरणों के खराब होने के दौरान :

यहाँ लागू नहीं होता।

(ii) लाइन पर अवरोध या दुर्घटना आदि के मामले में अवरोधित ब्लाक खंड में प्रस्थान आदेश :

यहाँ लागू नहीं होता।

(iii) ब्लाक खंड में रुकी हुई गाड़ियों :

यहाँ लागू नहीं होता।

(iv) मध्यवर्ती ब्लाक रोक सिगनल के आन होने पर चूक/पासिंग :

इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

(v) एक्सिल काउन्टर ब्लाक/बी पी ए सी की खराबी :

इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

(vi) एम.टी.आर.सी. में खराबी :

इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

(ख) कैक हैण्डल द्वारा कांटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्यविधि :

इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

(ग) कालिंग आन सिगनल परिचालन से पूर्ण रेलपथ के क्लीयरेंस का प्रमाणन :

इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

क्रमशः पृष्ठ 12 पर

(घ) कांटो, ट्रैक सर्किट/एक्सिल काउन्टर और अन्तर्पाशन की खराबी की रिपोर्ट करना:

- (i) जब भी स्टेशन पर कांटो या कोई अन्य में खराबी पायी जाती है तो उसकी रिपोर्ट कार्यरत स्टेशन मास्टर नानपारा जं० द्वारा सम्बन्धित कार्यरत सिगनल अनुरक्षण कर्मचारी जो इस खराबी को ठीक करने के लिए उत्तरदायी है, को की जाये तथा उस खराबी के ठीक होने के बाद सिगनल अनुरक्षक से केवल लिखित मेमो प्राप्त होने पर ही स्टेशन मास्टर कार्य प्रणाली को पुनः सामान्य स्थिति में लाया जाये ।
- (ii) नानपारा जं० स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को संदेश देने के साथ इस खराबी को सिगनल विफलता रजिस्टर में भी दर्ज किया जाये ।

9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता :-

इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है ।

9.2 दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन कार्य पद्धति :

9.2.1 संचार साधनों के पूर्णतया अवरुद्ध हो जाने के दौरान इकहरी लाइन प्रणाली से कार्य करना :

इस स्टेशन पर दोहरी लाइन नहीं है ।

9.2.2 दोहरी लाइन खण्ड में एक लाइन अवरुद्ध हो जाने पर इकहरी लाइन कार्य चालन के नियम :

इस स्टेशन पर दोहरी लाइन नहीं है

9.3 बिना लाइन क्लीयर प्रस्थान प्राधिकार पर या दुघटनाग्रस्त/किपिल्ड गाड़ी के सहायतार्थ गाड़ी का प्रस्थान :

जब गाड़ी के गार्ड या सहायक लोको पायलट से सूचना प्राप्त हो कि किन परिस्थितियों में गाड़ी असमर्थ हुयी है व आगे नहीं बढ़ सकती है तथा सहायता की आवश्यकता है तो कार्यरत स्टेशन मास्टर आधार स्टेशन नानपारा जं० पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना देगा ।

10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य : इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है ।

11. स्टेशन पर आवश्यक उपकरण : स्टेशन संचालन नियम परिशिष्ट 'ई' देखें ।

12. कोहरा होने पर बुलाये जाने वाले नामित फाग सिगनल मैन :
इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है ।

13. परिशिष्ट की सूची :

1. परिशिष्ट 'ए' - समपार फाटकों के संचालन अनुदेश ।
2. परिशिष्ट 'बी'- सिगनलिंग एवं अन्तर्पाशन की प्रणाली तथा स्टेशन पर संचार व्यवस्था ।
3. परिशिष्ट 'सी' - टक्कर रोधी उपकरण ।
4. परिशिष्ट 'डी'- कर्मचारियों के कर्तव्य ।
5. परिशिष्ट 'ई'- स्टेशन पर आवश्यक उपकरण ।
6. परिशिष्ट 'एफ'- डी के स्टेशन, हाल्ट, आई.बी.एच, आई.बी.एस. और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम ।
7. परिशिष्ट 'जी'- विद्युतीकृत खडों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम ।

नोट : क. इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके अथवा सुधार करके न पढ़ा जाये ।

ख. उपर्युक्त अनुच्छेद में कुछ साधारण एवं सहायक नियमों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। नियम सम्पूर्ण नहीं है सभी अन्य साधारण और सहायक नियमों पर अन्य विशेष आदेशों या प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन दृढ़ता से किया जाये ।

.....